न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी — अरूण कुमार जैन, आर० ए० एस०

मूल प्रार्थना पत्र संख्या— 31/2019 (पुराना) तथा

26/2022 इस न्यायालय का

1. हुक्मसिंह पुत्र बालूसिंह जाति राजपूत निवासी भोजपुरा कंला तहसील जोबनेर जिला जयपुर।

.... प्रार्थी

बनाम

1. रामलाल पुत्र उदाराम
2. छीतरमल पुत्र उदाराम
3. देवीनारायण पुत्र घीसालाल
4. बजरंगलाल पुत्र रामदेव
5. बुद्विप्रकाश पुत्र रूडा
6. मुकेश पुत्र रामदेव
7. मंगलचन्द पुत्र रामदेव
8. मदनलाल पुत्र रूडा
9. मनोज कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण
10. मूलचन्द पुत्र नारायण
11. मेवाराम पुत्र नारायण
12. मांगीलाल पुत्र डालू
13. राकेश पुत्र घीसालाल
14. रामलाल पुत्र उदाराम
15. रामेश्वर पुत्र कुम्भाराम
16. रामावतार पुत्र लक्ष्मीनारायण
17. रामावतार पुत्र घीसालाल
18. शंकर पुत्र डालू
19. श्रीकिशन पुत्र डालू
20. संज्या देवी पत्नि रूडा
21. सुवालाल पुत्र रामदेव
22. सीताराम पुत्र घीसालाल
23. सीताराम पुत्र डालू
24. हनुमान पुत्र नारायण
25. हीरालाल पुत्र रूडा

समस्त जाति कुम्हार निवासी भोजपुरा कंला तहसील जोबनेर जिला जयपुर।

26. तहसीलदार तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज०

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

........2

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

उपस्थितः— 1. श्री रामसिंह, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थीगण
2. श्री श्रवण लाल कुमावत, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अप्रार्थीगण सं0 1 ता 7,10,13,18,20,21,24

—:निर्णयः—

दिनांकः—25/04/2023

पत्रावली प्रशासन गावों के संग अभियान 2023 के कैम्प कोर्ट भोजपुरा कलां में पेश हुई। न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—ए के अंतर्गत दिनांक 22.11.2022 को प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थी/अप्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे प्रस्तुत किया जिसमे प्रार्थी की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 96/1 रकबा 7.3341 हेक्टेयर वाके ग्राम भोजपुरा कंला पटवार हल्का भोजपुरा कंला भू0अभि0नि0क्षेत्र हिंगोनिया तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज0 में स्थित है जिसका प्रार्थी एकमात्र खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि में आने जाने का कोई रास्ता नही है इसलिए प्रार्थी को अपनी भूमि की बाजोत काश्त करने के लिए व अपनी भूमि को उपजाउ व विकसित करने के लिए तथा अपनी भूमि पर आने जाने के लिए व मवेशीयो व कृषि संसाधनों को लाने ले जाने के लिए सुविधानुसार रास्ता खसरा नं0 731/100 रकबा 0.2276 हेक्टैयर, खसरा नं0 734/100 रकबा 0.0506 हेक्टैयर, खसरा नं0 739/101 रकबा 0.0126 हेक्टैयर, खसरा नं0 745/102 रकबा 0.0632 हेक्टेयर ग्राम भोजपुरा कंला पटवार हल्का भोजपुरा कंला भू0अभि0नि0क्षेत्र हिंगोनिया तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज0 में से सीमा के सहारे सहारे मार्क ए0 से बी0 20 फुट चौडा रास्ता जो कि खसरा नं0 731/100 रकबा 0.2276 हेक्टैयर, खसरा नं0 734/100 रकबा 0.0506 हेक्टैयर, खसरा नं0 739/101 रकबा 0.0126 हेक्टैयर, खसरा नं0 745/102 रकबा 0.0632 हेक्टेयर में बने रास्ते में होता हुआ जोबनेर—रेनवाल रोड में जाकर मिलेगा तथा अप्रार्थीगण ने खसरा नं0 731/100 में आने जाने के लिए खसरा नं0 734/100 रकबा 0.0506 हेक्टैयर, खसरा नं0 739/101 रकबा 0.0126 हेक्टैयर, खसरा नं0 745/102 रकबा 0.0632 हेक्टेयर में रास्ता कायम कर रखा है जो मौके पर चालू है। इस प्रकार प्रार्थी को खसरा नं0 731/100 में से रास्ता देते हुये खसरा नं0 739/101 व 745/102 में बने हुये रास्ते से जोडा जाना आवश्यक है। जिससे प्रार्थी अपनी आराजीयात में सुगमता पूर्वक आ जा सकेगा तथा अपने कृषि संसाधनों को लाकर अपनी कृषि जोत को विकसित कर सकेगा। इसके अलावा प्रार्थी के पास वैकल्पिक कोई रास्ता नही है। इस प्रकार संलग्न नक्शे मे दर्शित रास्ता प्रार्थी को उपलब्ध करवाया जावे। प्रार्थी उक्त रास्ते के लिए धारा 251ए राज0टिनेसी ऐक्ट के अनुसार भूमि के बदले भूमि या उक्त ऐक्ट के तहत निर्धारित राशि जमा करवाने को तत्पर एवं तैयार है।

अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस पंजीकृत डाक से तलब किया गया। अप्रार्थीगण अप्रार्थीगण सं0 1 ता 7,10,13,18,20,21,24 की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवण लाल कुमावत उपस्थित।

तत्कालीन तहसीलदार, जोबनेर को प्रकरण में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु

................3

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर के पत्रांक 04 दिनांक 01.02.2023 द्वारा निर्देशित किया गया, जिसकी अनुपालना में तहसीलदार जोबनेर द्वारा पत्रांक 1242 दिनांक 16.03.2023 द्वारा मौका बिन्दुवार जांच रिपोर्ट न्यायालय में पेश की गयी। जिसके बिन्दु संख्या 01 के अनुसार प्रार्थी के पास खसरा नंबर 96/1 में पहुँच हेतु कोई भी रास्ता नहीं है। बिन्दू संख्या 02 के अनुसार अन्य कोई निकटमतम रास्ता नहीं है। बिन्दु संख्या 05 के अनुसार चाहे गये रास्ते से संबंधित भूमि के 24 खातेदार है जिनमें 12 खातेदारों के हिस्से पर रहन दर्ज है। बिन्दु संख्या 08 के अनुसार रास्ते कि चौडाई 6 मीटर एवं लम्बाई 30 मीटर रास्ते का कुल क्षेत्रफल 0.1444है0 होता है।

पक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 96/1 रकबा 7.3341 हेक्टेयर वाकै ग्राम भोजपुरा कंला पटवार हल्का भोजपुरा कंला भू0अभि0नि0क्षेत्र हिंगोनिया तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज0 में स्थित है जिसका प्रार्थी एकमात्र खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि में आने जाने का कोई रास्ता नही है इसलिए प्रार्थी को अपनी भूमि की बाजोत काश्त करने के लिए व अपनी भूमि को उपजाउ व विकसित करने के लिए तथा अपनी भूमि पर आने जाने के लिए व मवेशीयो व कृषि संसाधनों को लाने ले जाने के लिए सुविधानुसार रास्ता खसरा नं0 731/100 रकबा 0.2276 हेक्टैयर, खसरा नं0 734/100 रकबा 0.0506 हेक्टैयर, खसरा नं0 739/101 रकबा 0.0126 हेक्टैयर, खसरा नं0 745/102 रकबा 0.0632 हेक्टेयर ग्राम भोजपुरा कंला पटवार हल्का भोजपुरा कंला भू0अभि0नि0क्षेत्र हिंगोनिया तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज0 में से सीमा के सहारे सहारे मार्क ए0 से बी0 20 फुट चौडा रास्ता जो कि खसरा नं0 731/100 रकबा 0.2276 हेक्टैयर, खसरा नं0 734/100 रकबा 0.0506 हेक्टैयर, खसरा नं0 739/101 रकबा 0.0126 हेक्टैयर, खसरा नं0 745/102 रकबा 0.0632 हेक्टेयर में बने रास्ते में होता हुआ जोबनेर–रेनवाल रोड में जाकर मिलेगा तथा अप्रार्थीगण ने खसरा नं0 731/100 में आने जाने के लिए खसरा नं0 734/100 रकबा 0.0506 हेक्टैयर, खसरा नं0 739/101 रकबा 0.0126 हेक्टैयर, खसरा नं0 745/102 रकबा 0.0632 हेक्टेयर में रास्ता कायम कर रखा है जो मौके पर चालू है। इस प्रकार प्रार्थी को खसरा नं0 731/100 में से रास्ता देते हुये खसरा नं0 734/100 व 739/102 में बने हुये रास्ते से जोडा जाना आवश्यक है। जिससे प्रार्थी अपनी आराजीयात में सुगमता पूर्वक आ जा सकेगा तथा अपने कृषि संसाधनों को लाकर अपनी कृषि जोत को विकसित कर सकेगा। इसके अलावा प्रार्थी के पास वैकल्पिक कोई रास्ता नही है। इस प्रकार संलग्न नक्शे मे दर्शित रास्ता प्रार्थी को उपलब्ध करवाया जावे। प्रार्थी उक्त रास्ते के लिए धारा 251ए राज0टिनेसी ऐक्ट के अनुसार भूमि के बदले भूमि या उक्त ऐक्ट के तहत निर्धारित राशि जमा करवाने को तत्पर एवं तैयार है।

पत्रावली का अध्ययन मनन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थना पत्र में अंकित 24 प्रतिवादियों में से 18 प्रतिवादियों द्वारा मौका रिपोर्ट में रास्ते हेतु आवेदित भूमि दिये जाने हेतु अनापत्ति प्रदत्त की है। 1 प्रतिवादी की मृत्यु होने से उसके वारीसान द्वारा सहमति

............4

25/5/2023
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

प्रदत्त की गई है, शेष 5 खातेदारान् मौका रिपोर्ट तैयार करते अनुपस्थित रहे परन्तु उनके भाईयों द्वारा सहखातेदारी भूमि में से रास्ता दिये जाने हेतु सहमति प्रदत्त कर दी गई है, साथ ही तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार 12 खातेदारों की भूमि बैंक में रहन दर्ज है।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं तहसीलदार, जोबनेर की मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी की आराजी खसरा नं0 96/1 में आने-जाने का रास्ता नहीं है। आवेदित भूमि के अधिकांशतः खातेदारों की सहमति होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए रास्ता काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 16.03.2023 के अनुसार प्रस्तावित रास्ता खसरा नं0 731/100 की दक्षिणी सीमा के सहारे दिया जाना उचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थी हुकम सिंह को उसकी खातेदारी भूमि 96/1 ग्राम भोजपुरा कलां में आने-जाने हेतु तहसीलदार जोबनेर से प्राप्त मौका रिपोर्ट व सलंग्न नक्शा अनुसार खसरा नं0 731/100 की दक्षिणी सीमा पर 6 मीटर X 30 मीटर (कुल 0.0180 है0 भूमि) तथा खसरा नंबर 734/100, 739/101 तथा 745/102 सम्पूर्ण खसरा कुल किता 4 का कुल रकबा 0.1444 है0 को राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी से कम करते हुये सिवायचक खाते में किस्म परिवर्तित कर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे, परन्तु उक्त आदेश की अनुपालना करने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-A के प्रावधानों के अन्तर्गत खसरा नं0731/100, 734/100,739/101,745/102 कुल किता 4 कुल रकबा 0.1444 है0 भूमि के खातेदारों की भूमि के बदले खसरा नं0 96/1 की उत्तरी-पूर्वी सीमा पर खसरा नं0 731/100 की सीमा पर समतुल्य भूमि खातेदारों के नाम दर्ज की जावें। इस आशय की तहरीर तहसीलदार जोबनेर को जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/04/2023 कैम्प कोर्ट भोजपुरा कलां में टंकित कराया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया ।

25/4/2023

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोबनेर जिला जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

क्रमांक/कैम्प कोर्ट/राजस्व/५५

दिनांक:- 1/6/2023

निमित्तः— तहसीलदार, जोबनेर

1. हुक्मसिंह पुत्र बालूसिंह जाति राजपूत निवारी भोजपुरा कंला तहसील जोबनेर जिला जयपुर।

.... प्रार्थी

वनाम

1. रामलाल पुत्र उदाराम
2. छीतरमल पुत्र उदाराम
3. देवीनारायण पुत्र घीसालाल
4. बजरंगलाल पुत्र रामदेव
5. बुद्विप्रकाश पुत्र रूडा
6. मुकेश पुत्र रामदेव
7. मंगलचन्द पुत्र रामदेव
8. मदनलाल पुत्र रूडा
9. मनोज कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण
10. मूलचन्द पुत्र नारायण
11. मेवाराम पुत्र नारायण
12. मांगीलाल पुत्र डालू
13. राकेश पुत्र घीसालाल
14. रामलाल पुत्र उदाराम
15. रामेश्वर पुत्र कुम्भाराम
16. रामावतार पुत्र लक्ष्मीनारायण
17. रामावतार पुत्र घीसालाल
18. शंकर पुत्र डालू
19. श्रीकिशन पुत्र डालू
20. संज्या देवी पत्नि रूडा
21. सुवालाल पुत्र रामदेव
22. सीताराम पुत्र घीसालाल
23. सीताराम पुत्र डालू
24. हनुमान पुत्र नारायण
25. हीरालाल पुत्र रूडा

समस्त जाति कुम्हार निवासी भोजपुरा कंला तहसील जोबनेर जिला जयपुर।

26. तहसीलदार तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज0

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 कैम्प कौर्ट भोजपुरा कलां मे दिनांक

उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोबनेर जिला जयपुर सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

.......2

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

24.04.2023 को निर्णीत किया गया है। आपको आदेशित किया जाता है कि निर्णय के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करते हुए पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

अतः आज दिनांक 09.05.2023 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

संलग्नः— निर्णय की प्रति

अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोबनेर जिला जयपुर
सत्यमेव जयते

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर